न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस

मु.नं.	किस्म मुकदमा	ता.रजू	ता. फैसला
41/014	दावा 88,188 आर.टी.एक्ट	27.6.014	14.8.2018

उनवान

आम जनता ग्राम कोसरा तहसील व जिला करौली राज0 जरिये ग्रामवासीयान व आम जनता ग्राम कोसरा तहसील व जिला करौली जरिये प्रतिनिधिगण

1 मोहरसिह पुत्र खूवा
2 बाबूलाल पुत्र शिब्बू
3 भरोसी पुत्र नानगा
4 रामप्रसाद पुत्र चतरे
5 खूबचन्द पुत्र मोहनलाल
6 रामकुमार पुत्र सूजा

→ जाति जाटव निवासी कोसरा तहसील व जिला करौली

––वादीगण

बनाम

1 सुगरवाई वेवा रामसहाय
2 मुकेश
3 विजय
4 शिवराम
5 गज्जा → पिसरान रामसहाय
6 लच्छो पुत्री रामसहाय
7 माया पुत्री रामसहाय
8 रमेश
9 बाबूलाल
10 दिनेश → पिसरान नथोली
11 रामोती पुत्री नथोली
12 रूपा वेवा नथोली
13 मॉगी पुत्र चिम्मन
14 दयाल पुत्र चिम्मन

→ जाति जाटव निवासी कोसरा तहसील व जिला करौली

15 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 14.8.2018

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 2 वीधा 12 विस्वा ग्राम कोसरा तहसील व जिला करौली मे स्थित है उक्त आराजी का साबिक खसरा नम्बर 248 है जो मौसूमा खारीनरी के नाम से मशहूर है और उकत भूमि ग्राम कोसरा के ग्राम वासीयान की शमशान भूमि है जिसमे सैकडो वर्षो से ग्राम वासीयान मुर्दो को जलाने के काम मे लेते चले आ रहे है और शमशान के लिए उपयोग करते चले आ रहे है यह शमशान खारीनरी क नाम से मशहूर है जिससे प्रतिवादी नमबर 1 ता 14 व प्रतिवादीगण के पितामह व पितागण का कोई खातेदारी काश्तकारी समबन्ध नही है ना ही कभी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण या प्रतिवादीगण के पितामह व पितागण का कोई कब्जा काश्त रहा है उक्त

4 रामप्रसाद पुत्र चतरे
5 सुखचन्द पुत्र मोहनलाल
6 रामकुमार पुत्र सूजा — —वादीगण

बनाम

1 सुगनबाई वेवा रामसहाय
2 मुकेश
3 विजय
4 शिवराम
5 गज्जा
→ पिसरान रामसहाय
6 लच्छो पुत्री रामसहाय
7 माया पुत्री रामसहाय
8 रमेश
9 बाबूलाल
10 दिनेश
→ पिसरान नथोली
11 रामोती पुत्री नथोली
12 रूपा वेवा नथोली
13 मॉगी पुत्र चिम्मन
14 दयाल पुत्र चिम्मन
→ जाति जाटव निवासी कोसरा तहसील व जिला करौली
15 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला करौली —प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 14.8.2018

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 2 वीधा 12 विस्वा ग्राम कोसरा तहसील व जिला करोली मे स्थित है उक्त आराजी का साबिक खसरा नम्बर 248 है जो मौसूमा खारीनरी के नाम से मशहूर है और उकत भूमि ग्राम कोसरा के ग्राम वासीयान की शमशान भूमि है जिसमे सैकडो वर्षो से ग्राम वासीयान मुर्दो को जलाने के काम मे लेते चले आ रहे है और शमशान के लिए उपयोग करते चले आ रहे है यह शमशान खारीनरी क नाम से मशहूर है जिससे प्रतिवादी नमबर 1 ता 14 व प्रतिवादीगण के पितामह व पितागण का कोई खातेदारी काश्तकारी समबन्ध नही है ना ही कभी उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण या प्रतिवादीगण के पितामह व पितागण का कोई कब्जा काश्त रहा है उक्त भूमि हमेशा हमेश से सैकडो वर्षो से शमशान के काम आती चली आ रही है। और उक्त भूमि ग्राम कोसरा के ग्रामवासीयान की शमशान भूमि है प्रतिवादीगण के पितागणव पितामहगण ने प्रतिवादी नम्बर 15 व राजस्व कर्मियो से साजिश करकर अपने ह कमे अवैध खातेदारी इन्द्राज करा लिये है जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 12.3.2014 को नकल जमाबंदी सम्बत 2066 से 69 प्राप्त होने पर हुयी तब वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 से दिनांक 15.3.2014 को उक्त भूमि के इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे शमशान भूमि के रूप मे दर्ज कराने की कहा और भूमि शमशान भूमि होने की कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 ने शमशान भूमि दर्ज कराने से इंकार कर दिया और उक्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली

शमशान भूमि के उपयोग उपभोग मे वाधा डालने व दीगर व्यक्तियो को विक्रय करने की ऐलानिया कहा व धमकी दी है वादीगण द्वारा ऐसा नही करने की कहने पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 वादीगण से झगडा करने को आमादा फिसाद हो गये तब वादीगण ने यह वाद पत्र पेश किया है विवादित भूमि ग्राम कोसरा की शमशान भूमि है जिसे वादीगण व ग्राम वासीयान एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 सैकडो वर्षो से शमशान के लिए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिसकी वादीगण व ग्रामवासीयान एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 को पूर्ण जानकारी व ज्ञान है उक्त भूमि के प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 व पितागण व पितामह प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 के ह कमे हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज व आवटन हक हकूक वादीगण व ग्राम वासीयान पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन है और वाध्यकारी नही है वादीगण विवादित भूमि को शमशान भूमि घोषित कराने एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 के पितागण एवं पितामह व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 के हक मे हुये अवैध खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कराकर हटवाने के अधिकारी है प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 अवैध खातेदारी इन्द्राज के सबब ताकत व पैसे के बल पर विवादित भूमि शमशान भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है और उक्त भूमि को दीगर गावो के ताकत वर व्यक्तियो को विक्रय करने पर तुले हुये है। दिनांक 7.6.2014 से प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 ने लोगो से विक्रय की बातचीत प्रारम्भ कर दी है प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादीगण पर भारी आधात है वादीगण को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है इस लिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अन्त मे दावा वादीगण डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 15 ने जबाव प्रस्त कर कथन किया है कि वादीगण को अपना वाद अपनी साक्ष्य से साबित करना है मौके पर भूमि शमशान है अन्त मे दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 14 बाबजूद तामील उपस्थित आने पर उनके व द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 17.11.2016 को जबाव दावा प्रतिवादीगण बन्द किया गया।

साक्ष्य वादीगण ली गयी वादीगण ने अपनी साक्ष्य मे वादी मोहरसिह पीडब्लू 1 व गवाह रूपचन्द पीडब्लू 2 जगन पीडब्लू 3 के वयान लेखवद्व कराये गये है एवं दस्तावेजी सबूत मे जमाबंदी सम्बत 2066–69 पेश की है।

प्रतिवादीगण के जिरह को उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व दिनांक 26.9.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस मे कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 235 रकवा 2 वीधा 12 विस्वा ग्राम कोसरा शमशान भूमि है। और उक्त भूमि खारी नरी के नाम से मशहूर है। जो शमशान के लिऐ सैकडो वर्षो से ग्रामवासीयान कोसरा व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 द्वारा मुर्दो को जलाने के लिऐ शमशान भूमि के काम मे उपयोग होती चली आ रही है उक्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 का व उनके पितागण का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही हैं वादीगण उक्त भूमि को शमशान भूमि घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। वादीगण ने अपना वाद मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 15 ने जबाव दावा मे भूमि शमशान भूमि होना माना है। दावा वादीगण डिकी किया जावे।

बहस वकील वादीगण का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत 2066–69 व मौखिक साक्ष्य वादीगण का अवलोकन किया गया वादीगण द्वारा यह वाद खसरा नम्बर 235 को शमशान भूमि घोषित करने का प्रस्तुत किया है। धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत केबल कृषक के खातेदारी अधिकार की घोषणा की जाती है। वादीगण का कथन है कि भूमि शमशान है जो वादीगण का भूमि पर सुखाधिकार है। जिसके सम्बन्ध मे वाद इस न्यायालय को सुनवाई का नही होकर सिविल न्यायालय के सुनवाई का है। वादीगण का घोषणा खातेदारी वाद क्षेत्राधिकार वीहिन होने से चलने योग्य नही है। वादीगण शमशान भूमि बाबत सिविल न्यायालय मे वाद पेश करने को स्वतंत्र रहेगें।

कराने के अधिकारी है। अन्त मे दावा वादीगण डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 15 ने जबाव प्रस्त कर कथन किया है कि वादीगण को अपना वाद अपनी साक्ष्य से साबित करना है मौके पर भूमि शमशान है अन्त मे दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 14 बाबजूद तामील उपस्थित आने पर उनके व द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 17.11.2016 को जबाव दावा प्रतिवादीगण बन्द किया गया।

साक्ष्य वादीगण ली गयी वादीगण ने अपनी साक्ष्य मे वादी मोहरसिह पीडब्लू 1 व गवाह रामचन्द पीडब्लू 2 जगन पीडब्लू 3 के वयान लेखवद्व कराये गये है एवं दस्तावेजी सबूत मे जमाबंदी सम्बत 2066–69 पेश की है।

प्रतिवादीगण के जिरह को उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व दिनांक 26.9.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस मे कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 235 रकवा 2 वीधा 12 बिस्वा ग्राम कोसरा शमशान भूमि है। और उक्त भूमि खारी नरी के नाम से मशहूर है। जो शमशान के लिये सैकडो वर्षो से ग्रामवासीयान कोसरा व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 द्वारा मुर्दो को जलाने के लिये शमशान भूमि के काम मे उपयोग होती चली आ रही है उक्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 1 ता 14 का व उनके पितागण का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही हैं वादीगण उक्त भूमि को शमशान भूमि घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। वादीगण ने अपना वाद मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 15 ने जबाव दावा मे भूमि शमशान भूमि होना माना है। दावा वादीगण डिकी किया जावे।

बहस वकील वादीगण का मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्बत 2066–69 व मौखिक साक्ष्य वादीगण का अवलोकन किया गया वादीगण द्वारा यह वाद खसरा नम्बर 235 को शमशान भूमि घोषित करने का प्रस्तुत किया है। धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत केबल कृषक के खातेदारी अधिकार की घोषणा की जाती है। वादीगण का कथन है कि भूमि शमशान है जो वादीगण का भूमि पर सुखाधिकार है। जिसके सम्बन्ध मे वाद इस न्यायालय को सुनवाई का नही होकर सिविल न्यायालय के सुनवाई का है। वादीगण का घोषणा खातेदारी वाद क्षेत्राधिकार वीहिन होने से चलने योग्य नही है। वादीगण शमशान भूमि बाबत सिविल न्यायालय मे वाद पेश करने को स्वतंत्र रहेगें।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.8.2018 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली